

राजस्थान सरकार

परिवहन विभाग

(सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ)

क्रमांक :- प.10(567) परि/स.सु./स्टेट काउंसिल/2015/1720

जयपुर, दिनांक :- 24/11/2020

माननीय परिवहन मंत्री महोदय की अध्यक्षता में "स्टेट रोड सेफ्टी कौंसिल" की दिनांक

17.01.2020 को आयोजित 16वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

माननीय परिवहन मंत्री महोदय की अध्यक्षता में "स्टेट रोड सेफ्टी कौंसिल" की 16वीं बैठक दिनांक 17.01.2020 को शासन सचिवालय स्थित मुख्य भवन के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित हुई। बैठक में उपस्थित अधिकारीगण तथा विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधिगण की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 24.06.2019 को आयोजित गत बैठक में लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति की समीक्षा कर संतोष व्यक्त किया गया। अध्यक्ष महोदय द्वारा वर्ष 2019 में सड़क दुर्घटनाओं के जिलेवार आँकड़ों की समीक्षा की गई तथा वर्ष 2018 की तुलना में वर्ष 2019 में सड़क दुर्घटनाओं, घायलों एवं मृतकों की संख्या में वृद्धि पर गहन चिंता व्यक्त की गई। वर्ष 2020 में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए सभी हितधारक विभागों के अधिकारियों को आपसी समन्वय से सुनियोजित कार्य योजना के तहत कार्य करने के निर्देश प्रदान किए गए।

बैठक में विस्तृत विचार विमर्श के उपरान्त निम्न निर्णय लिए गए :-

परिवहन विभाग

1. राज्य में सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली कुल मृत्यु दर में से लगभग 24 प्रतिशत दुपहिया वाहन चालकों का है और इनमें से अधिकतम मृत्यु हेलमेट नहीं पहनने के कारण होती है। अतः राज्य में निर्धारित मानकों के हेलमेट के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिये केन्द्रीय मोटर वाहन क्रय के समय हेलमेट प्रदान करने विचार करने के लिए वाहन निर्माताओं/डीलर्स की बैठक आयोजित करने के निर्देश दिये गये।

पुलिस विभाग

2. बैठक में प्रमुख शासन सचिव एवं परिवहन आयुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि वर्ष 2019-20 में समर्पित सड़क सुरक्षा कोष से पुलिस को विभिन्न प्रवर्तन कार्यों/उपकरणों हेतु राशि रु. 2139.29 लाख उपलब्ध करवाये गये हैं। इस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा उक्त राशि का उपयोग इस वित्तीय वर्ष में करते हुये समय पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र राज्य सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ भेजने के निर्देश दिये गये।
3. पुलिस विभाग को माननीय उच्चतम न्यायालय सड़क सुरक्षा समिति के निर्देशों की अनुपालना में प्रवर्तन कार्यवाही बढ़ाकर यातायात नियमों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये।
4. राज्य में अस्पतालों के सामने मीडियन कट बन्द नहीं किए जाएँ जिससे एंबुलेंस को अस्पताल में प्रवेश करने के लिए सीधा रास्ता मिल सके एवं घायल को त्वरित राहत प्रदान करने में अनावश्यक विलम्ब न हो।
5. राज्य के समस्त पुलिस थानों व सार्वजनिक स्थलों पर गुड सेमेरिटन अधिकार पत्र अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए।

सड़क सम्बन्धी विभाग

6. सार्वजनिक निर्माण विभाग को पूर्व में ब्लैक स्पॉट दुरुस्तीकरण हेतु समर्पित सड़क सुरक्षा कोष से जारी राशि रु. 1057.64 लाख का पूर्ण उपयोग इस वित्तीय वर्ष में कर उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं दुरुस्त किये गये ब्लैक स्पॉट्स की विस्तृत रिपोर्ट राज्य सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ प्रेषित करने के निर्देश दिये गये।
7. समस्त सड़क निर्माण विभागों को ब्लैक स्पॉट दुरुस्तीकरण हेतु सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गठित फंड से राशि उपलब्ध करवाने के लिए प्रस्ताव प्रेषित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही SRF Fund का 10% प्रतिशत बजट सड़क सुरक्षा हेतु संरक्षित करने की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिये गये।
8. राष्ट्रीय राजमार्गों पर आवारा पशुओं से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ऐसे क्षेत्र चिन्हित किए जाएँ जहाँ पशुओं का आवागमन अधिक रहता हो। ऐसे चिन्हित स्थानों पर सड़क के दोनों ओर बेरिकेडिंग की व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने हेतु निर्देशित किया गया।
9. जयपुर शहर में बी आर टी एस कॉरिडोर में सड़क दुर्घटनाओं एवं ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात पाने के लिए कॉरिडोर की उपयोगिता के संबंध में चर्चा की गई। इस संबंध में प्रस्ताव नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को प्रेषित करने तथा सड़क सुरक्षा हेतु मंत्रीमंडलीय उपसमिति की आगामी बैठक में माननीय मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग से चर्चा करने का निर्णय लिया गया।
10. वर्ष 2018 में सीकर-बीकानेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर घटित प्राणघातक दुर्घटनाओं के मध्यनजर उक्त राजमार्ग को 4 लेन में परिवर्तित करने हेतु प्रस्ताव तैयार कर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार को अविलम्ब प्रेषित करने के निर्देश प्रदान किए गए।
11. जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर गत वर्षों में घटित सड़क दुर्घटनाओं एवं उनसे होने वाली मृत्यु दर में वृद्धि पर गहन चिंता व्यक्त की गई तथा एन एच ए आई के अधिकारियों को उक्त मार्ग पर अविलम्ब सड़क सुरक्षा उपाय क्रियान्वित करने के निर्देश प्रदान किए गए।
12. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण तथा सड़क संबंधी विभागों को प्रदेश के समस्त राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों पर आधारभूत सुविधाओं यथा सार्वजनिक प्रसाधन, हाइवे एमेनिटीज, आबादी क्षेत्रों में प्रकाश की समुचित व्यवस्था इत्यादि के करने के निर्देश प्रदान किए गए।
13. राज्य में सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली कुल मृत्यु दर का लगभग 38 प्रतिशत मृत्यु राष्ट्रीय राजमार्गों पर घटित हो रही हैं जो अत्यन्त चिंता का विषय है। इन गंभीर दुर्घटनाओं की पुनर्वृत्ति को रोकने, समस्त सड़क उपयोगकर्ताओं को सुरक्षित आवागमन प्रदान करने तथा राजमार्गों पर सुविधाओं का विस्तार करने जैसे अनेक मुद्दों पर चर्चा करने हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पृथक से बैठक आयोजित करने हेतु निर्देशित किया गया।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

14. समर्पित सड़क सुरक्षा कोष से ट्रामा प्रणाली के सुदृढीकरण हेतु जारी राशि रुपये 1666.31 लाख का पूर्ण उपयोग इस वित्तीय वर्ष में कर उपयोगिता प्रमाण-पत्र तथा किये गये कार्य की विस्तृत रिपोर्ट राज्य सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ को भिजवाने के निर्देश दिये गये।
15. आमजन में गुड सेमेरिटन दिशा निर्देशों के व्यापक प्रचार प्रसार करने हेतु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग एवं परिवहन विभाग द्वारा नियमित अंतराल पर विभिन्न मीडिया में विज्ञापन

16. राज्य के समस्त राजकीय एवं निजी चिकित्सालयों में गुड सेमेरिटन अधिकार पत्र अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करने तथा गुड सेमेरिटन दिशा निर्देशों की पालना में राज्य के समस्त निजी अस्पतालों द्वारा भी सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति का त्वरित निःशुल्क इलाज किए जाने के निर्देश दिए गए। उक्त निर्देशों की अवहेलना करने वाले अस्पतालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए।

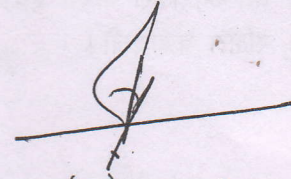
17. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण तथा निजी एम्बुलेंसों को राज्य की 108 एम्बुलेंस सेवा से जोड़े जाने हेतु पॉलिसी तैयार कराने का निर्णय लिया गया ताकि सड़क दुर्घटना में घायल को त्वरित मदद पहुँच सके।

शिक्षा विभाग

18. शिक्षा विभाग को समस्त राजकीय विद्यालयों में वितरण हेतु सड़क सुरक्षा पुस्तिका के लिये समर्पित सड़क सुरक्षा कोष से राशि रुपये 49.36 लाख अनुमोदित है। शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि द्वारा अवगत करवाया गया की पुस्तक कार्य पूर्ण हो चुका है। इस पर उक्त पुस्तिका का प्रकाशन शीघ्र करवाकर इसी वित्तीय वर्ष में विद्यालयों में वितरित करवाने के निर्देश दिये गये।

अन्त में बैठक अध्यक्ष महोदय के धन्यवाद ज्ञापन के साथ सम्पन्न हुई।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।



(राजेश यादव)

प्रमुख शासन सचिव एवं
परिवहन आयुक्त तथा सदस्य सचिव,
स्टेट रोड सेफ्टी काउंसिल

क्रमांक:- एफ 10(567) परि/स.सु./स्टेट कौंसिल/2015 1721-49 जयपुर, दिनांक 24/1/2020

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

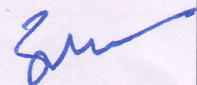
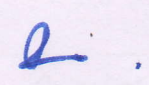
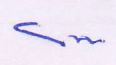
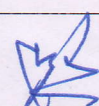
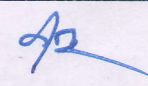
1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय शासन सचिवालय, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, परिवहन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री, परिवहन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, गृह एवं परिवहन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. निजी सचिव, पुलिस महानिदेशक, राजस्थान, पुलिस मुख्यालय, लाल कोठी, जयपुर।
7. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. निजी सचिव, अति. महानिदेशक, पुलिस, यातायात, राजस्थान, पुलिस मुख्यालय, जयपुर।
9. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
11. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
12. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम।
13. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
14. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव एवं परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, जयपुर।
15. निजी सचिव, शासन सचिव, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम।

16. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग एवं प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
17. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
18. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
19. निजी सचिव, मुख्य अभियंता, (सड़क) सार्वजनिक निर्माण विभाग, जैकब रोड, जयपुर।
20. महाप्रबन्धक, एन.एच.ए.आई, NHAI, एफ- 120, जनपथ, श्याम नगर, जयपुर।
21. नियंत्रक, स्टेट मोटर गैराज (ऑटो मोबाईल इंजीनियर), सहकार मार्ग, जयपुर।
22. निदेशक, सेंटर फॉर रोड सेफ्टी, सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर, कैम्पस- राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।
23. डॉ. माया टण्डन, मैनेजिंग ट्रस्टी, सहायता संस्था, 297, तरुछाया नगर, टोंक रोड, जयपुर।
24. श्री प्रमोद भसीन, मैनेजिंग ट्रस्टी, मुस्कान संस्था, 45, हरिकिशन सोमानी मार्ग, हथरोई, अजमेर रोड, जयपुर।
25. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लि. (RSRDCC), 'सेतु भवन', झालाना डूंगरी के सामने, जयपुर को बैठक में भाग लेने हेतु।
26. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 'RIDCOR', द्वितीय तल, जीवन निधि भवन, अम्बेडकर सर्किल, जयपुर को बैठक में भाग लेने हेतु।
27. सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ, परिवहन विभाग के समस्त अधिकारीगण।
28. केयर टेकर, शासन सचिवालय, जयपुर को उक्त बैठक हेतु मुख्य भवन स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल को आरक्षित करने एवं आवश्यक व्यवस्था करने हेतु।
29. रक्षित पत्रावली।

अपर परिवहन आयुक्त (स.सु.)

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग
(सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ)

माननीय परिवहन मंत्री महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 17.01.2020 को कॉन्फ्रेंस हॉल, शासन सचिवालय में आयोजित 'स्टेट रोड सेफ्टी कौंसिल' की 16वीं बैठक में उपस्थिति का विवरण

क्र.सं.	नाम	पद	विभाग का नाम	टेलीफोन/मोबाइल नम्बर	हस्ताक्षर
1	Pankaj K. Singh	ADG(Tr)	Police	97720-11111.	
2	AEEPAK KUMAR	DEG. Traffic	POLICE	9414033223	
3	ANUSH MAUK.	JS PAN RAI DYS. MM.	PAN RAI DISASTER MM	9413374411.	
4	Hernant Gora	Secretary	Finance	9928230000	
5	Rajesh Singh	S.A to Honble MPT	Transport	9829921213	
6	Harji Lal Atal	JS-Education	Education	9414890094	
7	Ramavtar Meena	Controller/ J.S	State Motor S.	9414110011	
8	M.L. Chandhary	Chief Engineers UDH	UDH	9829072300	
9	Arindesh Sharma JS		UDH	9829366777	
10	Dilip Singh	Manager (Tech)	NHAI	9419213762	
11	विनोद कुमार मुख्य	उपमहानिरीक्षक (तक)	राजस्थान सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ	9909917095	

क्र.सं.	नाम	पद	विभाग का नाम	टेलीफोन/मोबाइल नम्बर	हस्ताक्षर
12	Manish Aggarwal	Asst RIDCOR	RIDCOR	9413388935	M
13	Capt. Jitendra Singh	PO RIDCOR	RIDCOR	8107007000	Jing
14	Sunil Kallari	SE (Traffic) PWD	PWD	9928074626	SK
15	Sunil Gupta	CEAS	PWD	9414207190	S
16	UD Khan	ED (T)	RSRTC	9829281900	UD
17	Dr. Manoj Tandon	Chairperson	Sahayta	9414078998	MT
18	Tara Chand Saharan	Secretary	Sahayta	9829297297	TCS
19	Meidul Bhasin	इंजीनियर	भुवनेश्वर	9414064966	MBhasin
20	Gopal Lal Arora	XEN Roushat	Transport Dept Roushat	9413142406	gla
21	M. K. Sharma	S-E R.S. Cell.	Transp. Dept.	8949039211	M.K. Sharma
22	Dr. Subhash Khosla	J.D.	J.M & H OPR	9588871038	SK
23	Dr. L. N. Pandey	SMO (RS)	Transport	9314242191	L.N.
24	Raj Kumar Rajwal	N.S (RS)	Transport	9413337070	RK

क्र.सं.	नाम	पद	विभाग का नाम	टेलीफोन/मोबाइल नम्बर	हस्ताक्षर
25	Nidhi Singh	Dy TC Transport	Transport	9460145972	my
26	ASHWINI BAGGA	CONSULTANT	Transport	9636030303	Ally
27	Swati Dixit	MVI (R.S.)	Transport	9413346245	Swati
28	Bhopal Singh Bhat	Dy SP. (R.S.)	Transport (KAS- Police)	9829391111	my
29	S.K. Malik	Gm	RSRDC	9530084989	SK
30	M.L. Yogi	JS	PRD		P
31	BRINDRA SINGH	Manager (BOT)	RSRDC	7891511449	RA
32	Ghanshyam Singh	MVI (R.S.)	Transport Dept	<u>8696941956</u>	R
33	SAMEER NAZNAWAT	Executive	Mudkaan NGO	8387060492	S
34					
35					
36					
37					